बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
संकल्प

ज्ञापांकः–1/PMC/विविध/264/2026 952 पटना/दिनांकः– 13/11/26

विषय :– बिहार नहर अनुरक्षण नीति, 2026।

जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के कारण अनियमित वर्षा तथा औसत वर्षापात में कमी परिलक्षित हो रही है। दूसरी ओर बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण एवं औद्योगीकरण के कारण सिंचाई, पेयजल, ऊर्जा एवं उद्योगों के लिए जल की माँग निरंतर बढ़ रही है। फलस्वरूप भूजल एवं सतही जल पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में जल प्रबंधन एवं जल सुरक्षा हेतु नीतिगत एवं संस्थागत उपाय किया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

राज्य में कई दशकों से व्यापक सिंचाई अवसंरचना, अनेक डैम/जलाशय, बराज, वीयर आदि का निर्माण किया गया है। परन्तु स्थायी रूप से जल की सुरक्षा केवल अवसंरचना निर्माण के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती। सुदृढ़ नीतियों और नियामक ढांचा के माध्यम से राज्य के जल संसाधनों के दीर्घकालिक और अनुकूल प्रबंधन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इन संस्थागत मूल सिद्धांतों को मजबूत करने में सहायता प्रदान करने के लिए 19 मई, 2026 को 'स्टेट वॉटर रिफॉर्मस फ्रेमवर्क' (SWRF) लागू किया गया है। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत जल अवसंरचनाओं के संचालन और रखरखाव हेतु नीति का निर्माण एक महत्वपूर्ण सूचकांक के रूप में निर्धारित है।

सृजित सिंचाई योजनाओं का रख–रखाव स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (मुख्य शीर्ष 2700) के तहत बजट उपबंध की राशि से कराया जाता है। वर्तमान में नहर प्रणालियों का अनुरक्षण एवं मरम्मति अंतर्गत मात्र आकस्मिक कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जाते हैं। सिंचाई योजनाओं के अनुरक्षण हेतु कोई व्यापक नीति नहीं होने के कारण सिंचाई संसाधनों का समुचित संपोषण /अनुरक्षण नहीं हो पाता है, फलस्वरूप उनकी सिंचाई क्षमता में क्रमिक ह्रास हो रहा है। वर्तमान में राज्य की कुल सृजित सिंचाई क्षमता 38.13 लाख हेक्टेयर के विरूद्ध 28.92 लाख हेक्टेयर की सिंचाई उपलब्ध हो रही है तथा 9.21 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का ह्रास हो चुका है। स्पष्ट है कि समुचित संपोषण के अभाव में सृजित सिंचाई क्षमता तथा उपलब्धि में बड़ा अंतर है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। उक्त ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन एवं सृजित सिंचाई क्षमता के महत्तम उपयोग हेतु नहर प्रणालियों के समुचित अनुरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये "बिहार नहर अनुरक्षण नीति, 2026" संकल्पित है।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ** :– (i) यह नीति **"बिहार नहर अनुरक्षण नीति, 2026"** कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. **नहर संचालन अवधि** :–

विभागीय पत्रांक सिं0को0–01/2001 पार्ट IV–124 दिनांक 28.03.2024 द्वारा निर्धारित अवधि निम्नांकित है :–

नहर प्रणाली का नाम	फसल का प्रकार	सिंचाई की अवधि
सोन नहर प्रणाली	खरीफ फसल	01 जून से 31 अक्टूबर
	रब्बी फसल	20 दिसम्बर से 31 मार्च
गंडक नहर प्रणाली	गरमा एवं खरीफ फसल	25 अप्रैल से 25 अक्टूबर
	रब्बी फसल	20 दिसम्बर से 25 मार्च
कोशी नहर प्रणाली	गरमा एवं खरीफ फसल	25 अप्रैल से 25 अक्टूबर
	रब्बी फसल	20 दिसम्बर से 25 मार्च
चंदन, बदुआ एवं अन्य योजनायें	खरीफ फसल	01 जून से 31 अक्टूबर
	रब्बी फसल	20 दिसम्बर से 31 मार्च

3. नहरों का सामान्य/आवश्यक संपोषण तथा आपात मरम्मति अवधि :–

नहर संचालन अवधि को ध्यान में रखते हुये निम्नांकित सारणी के अनुसार मरम्मति कार्य कराये जाते हैं :–

रखरखाव/मरम्मति अवधि	सामान्य संपोषण अवधि (रब्बी के बाद)	आवश्यक मरम्मति अवधि (रब्बी के पहले)	अत्यावश्यक/आपात मरम्मति अवधि (नहर संचालन अवधि में)	अभ्युक्ति
सोन नहर प्रणाली	01 अप्रैल से 31 मई (61 दिन)	01 नवम्बर से 19 दिसम्बर (49 दिन)	खरीफ– 1जून से 31 अक्टूबर तथा रब्बी–20 दिसम्बर से 31 मार्च	जिन योजनाओं से रब्बी सिंचाई नहीं की जाती है, उनमें खरीफ अवधि के बाद सामान्य संपोषण किया जायेगा।
कोसी नहर प्रणाली	26 मार्च से 24 अप्रैल (30 दिन)	26 अक्टूबर से 19 दिसम्बर (55 दिन)	गरमा एवं खरीफ– 25 अप्रैल से 25 अक्टूबर तथा रब्बी–20 दिसम्बर से 25 मार्च	
गंडक नहर प्रणाली	26 मार्च से 24 अप्रैल (30 दिन)	26 अक्टूबर से 19 दिसम्बर (55 दिन)	गरमा एवं खरीफ– 25 अप्रैल से 25 अक्टूबर तथा रब्बी–20 दिसम्बर से 25 मार्च	
चन्दन, बदुआ एवं अन्य	01 अप्रैल से 31 मई (61 दिन)	01 नवम्बर से 19 दिसम्बर (49 दिन)	खरीफ– 1 जून से 31 अक्टूबर तथा रब्बी–20 दिसम्बर से 31 मार्च	

4. सिंचाई योजनाओं का प्रकार :–

वर्तमान में जल संसाधन विभाग अन्तर्गत निम्नांकित 04 प्रकार की सिंचाई योजनाऐं कार्यान्वित हैं :–

(i) **डैम/जलाशय :–** नदियों पर वैसे पहाड़ी स्थल, जहाँ जलाशय निर्माण उपयुक्त हो वहाँ डैम (बाँध) का निर्माण कर जलाशय विकसित किया जाता है। इन जलाशयों से नहर प्रणाली का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। जल संसाधन विभाग अंतर्गत अब तक कुल 29 अद्द जलाशय हैं, जिनकी कुल जल संचयन क्षमता 926.084 MCM है तथा इन सिंचाई परियोजनाओं से 3.03 लाख हे0 सिंचाई क्षमता सृजित है।

(ii) **बराज :–** नदियों पर ऐसा स्थल जहाँ ऊपर में बड़े जलाशय का निर्माण संभव नहीं हो, उन स्थलों पर बराज का निर्माण कर नदी प्रवाह में पानी के तल को ऊँचा (Afflux Create) किया जाता है तथा नहर प्रणाली का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। राज्य में अबतक कुल 15 अद्द बराज निर्मित हैं, जिनसे निःसृत नहर प्रणालियों से कुल 31.46 लाख हे0 सिंचाई क्षमता सृजित है।

(iii) **वीयर :–** कम जलप्रवाह वाली नदियों के जलप्रवाह को रोक कर पानी के तल को ऊँचा (Afflux Create) करने हेतु वीयर का निर्माण किया जाता है तथा नहर प्रणाली के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। राज्य में अबतक कुल 134 अद्द वीयर निर्मित हैं, जिनसे निःसृत नहर प्रणालियों से कुल 3.46 लाख हे0 सिंचाई क्षमता सृजित है।

(iv) **पम्प :–** नदी जलस्तर से ऊँचे स्थानों पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पम्प कैनाल योजनाऐं बनायी जाती हैं। राज्य में अबतक कुल 08 अद्द पम्प कैनाल योजना निर्मित हैं, जिनसे निःसृत नहर प्रणालियों से कुल 0.18 लाख हे0 सिंचाई क्षमता सृजित है।

सभी प्रकार की सिंचाई योजनाओं के तहत मुख्य नहर से जलवाहा तक निर्मित नहरों की लंबाई 36,133 कि0मी0 है।

5. सिचाई सरचनाएः–

A. असैनिक संरचनाएं :–

(i) **शीर्ष कार्य :–** किसी सिंचाई योजना के शीर्ष पर बनायी गयी संरचनाऐं यथा डैम, बराज एवं वीयर शीर्ष कार्य कहलाती है। योजना का यह अवयव सिंचाई के उद्देश्य से जलश्रोत से नहर में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करती है।

(ii) **नहर :–** योजना के शीर्ष पर जल एकत्रित कर सिंचाई के लिये खेतों तक पानी पहुँचाने के लिये नहरों का उपयोग किया जाता है।

(iii) **क्रॉस रेगुलेटर (Cross Regulator-C/R)** :– क्रॉस रेगुलेटर का उपयोग मुख्य नहर में जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिये किया जाता है। क्रॉस रेगुलेटर उस नहर से निःसृत होने वाली नहर (Off-take point) के निम्न प्रवाह में अवस्थित रहता है। इसका संचालन कर शाखा नहरों में प्रवाहित जलश्राव को नियंत्रित किया जाता है।

(iv) **हेड रेगुलेटर (Head Regulator-H/R)** :– हेड रेगुलेटर के माध्यम से मुख्य नहर से निकलने वाली शाखा नहरों में जलश्राव को नियंत्रित किया जाता है।

(v) **स्केप रेगुलेटर (Escape Regulator-E/R)** :–स्केप रेगुलेटर नहर प्रणाली की महत्वपूर्ण संरचना है, जो नहरों में अतिरिक्त जलश्राव को नियंत्रित करता है तथा अतिरिक्त जलश्राव के कारण होने वाली क्षति को रोकने के लिये एक सुरक्षा वाल्व का काम करता है।

(vi) **क्रॉस ड्रेनेज कार्य (Cross Drainage Work-CD)** :– क्रॉस ड्रेनेज कार्य वे संरचनाऐं है, जो किसी नहर के एवं प्राकृतिक जलश्रोत के Intersection पर बनायी जाती है। ये संरचनाऐं यह सुनिश्चित करती है कि नहर के रेखांकण से भिन्न कोण पर बहने वाली नदी/नाला का पानी, नहर को क्षति पहुँचाये बिना पार कर जाये। ये संरचनाऐं सुनिश्चित करती हैं कि सिंचाई प्रणाली और प्राकृतिक जलश्रोत दोनों प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। ये पाँच प्रकार की होती हैं:–

- **एक्वाडक्ट (Aqueduct) :-** इस संरचना में नहर को प्राकृतिक जलश्रोत के ऊपर से ले जाया जाता है। इसमें जलश्रोत के बेड को ड्रॉप नहीं कराया जाता है। इसका निर्माण वैसे स्थलों पर किया जाता है, जहाँ प्राकृतिक जलश्रोत का उच्चतम जलस्तर (Highest Flood Level-HFL) नहर के बेड लेवल के नीचे होता है।
- **सायफन एक्वाडक्ट (Syphon Aqueduct)** :- इस संरचना में नहर को प्राकृतिक जलश्रोत के ऊपर से ले जाया जाता है। इसमें प्राकृतिक जलश्रोत के बेड को ड्रॉप कराकर सायफन (Syphon) से पास कराया जाता है। इसका निर्माण वैसे स्थलों पर किया जाता है, जब नहर का बेड लेवल प्राकृतिक जलश्रोत के उच्चतम जलस्तर के नीचे हो।
- **सुपर पैसेज (Super Passage)** :- इस संरचना में प्राकृतिक नाला को नहर के ऊपर से पार कराया जाता है। इसका निर्माण वैसे स्थलों पर किया जाता है, जब प्राकृतिक जलश्रोत का बेड लेवल नहर के पूर्ण जलापूर्ति तल (Full Supply Level-FSL) के ऊपर हो।
- **लेवल क्रॉसिंग (Level Crossing)** :- जब नहर और प्राकृतिक जलश्रोत का तल लगभग समान होता है, उस स्थिति में लेवल क्रॉसिंग का निर्माण किया जाता है। इस संरचना में नहर एवं प्राकृतिक जलश्रोत के पानी को मिलने दिया जाता है। नहर और प्राकृतिक जलश्रोत में नियामकों की सहायता से नियंत्रित मात्रा में जल प्रवाहित किया जाता है।
- **इनलेट (Inlet) संरचना** :- नहर कभी–कभी ऐसे टोपोग्राफी (Topography) से गुजरती है कि नहर के बाहर (Countryside) के पानी को नहर में इनलेट (Inlet) कराना आवश्यक हो जाता है। इस परिस्थिति में इस संरचना का निर्माण कराया जाता है। यदा–कदा नहर में इनलेट किये पानी को नहर के रूपांकित जलश्राव में समायोजित करने हेतु गेटों के संचालन का प्रयोग किया जाता है।

(vii) **प्रपात (Fall)** :– फॉल एक महत्वपूर्ण संरचना है, जिसका निर्माण नहर में वैसे स्थलों पर किया जाता है, जहाँ प्राकृतिक भूमि का स्लोप नहर के डिजाईन किये गये स्लोप से अधिक तीव्र (Steep) हो। उपयुक्त अंतराल पर इस संरचना का निर्माण कर स्लोप के इस अंतर को समायोजित किया जाता है। फॉल के माध्यम से मिट्टी के कटिंग एवं फिलिंग को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे नहर निर्माण के लागत राशि को ऑप्टिमाईज (Optimise) किया जा सके। पटवन की दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण संरचना है।

(viii) **आउटलेट (Outlet)** :– यह संरचना नहर के जलश्राव को नियंत्रित और निर्देशित कर उसे खेतों तक पहुँचाने में मदद करती है।

(ix) **पुल/पुलिया** :–नहरों के आस–पास बसी आबादी, नहर को पार कर गुजरने वाली सड़क, फरालों को नहरों के आर पार पहुँचाने तथा नहरों के दोनों बाँधों के निरीक्षण को सुगम बनाने हेतु नहरों में पुल/पुलिया का निर्माण किया जाता है।

(x) **नहर तटबंध/सेवापथ** :– नहरों के सुगम निरीक्षण हेतु नहर तटबंध पर सेवापथ एवं नहरों पर निर्मित पुल/पुलिया हेतु संपर्क पथ का निर्माण किया जाता है।

B. यांत्रिक संरचनाएं:–

(i) डैम गेट
(ii) बराज गेट
(iii) शीर्ष नियामक गेट
(iv) त्रियक नियामक गेट
(v) स्केप नियामक गेट
(vi) वीयर गेट
(vii) मोटर पम्प
(viii) स्वीच पैनल
(ix) ट्रान्सफॉर्मर
(x) पाईप लाईन
(xi) स्काडा (SCADA)

6. नहरों का वर्गीकरण

नहरों का वर्गीकरण, जलवहन क्षमता एवं नहर निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की प्रकृति के अनुरूप किया जाता है।

(i) **नहर में प्रयुक्त सामग्रियों की प्रकृति** :– नहर निर्माण में प्रयोग किये जाने वाले सामग्रियों के आधार पर नहरों का वर्गीकरण निम्नांकित रूप से किया जाता है :–

a) **अनलाईन्ड नहर** :– अनलाईन्ड नहर अथवा Earthen Canal जमीन को खोदकर या मिट्टी भराई कर तैयार किया गया जलमार्ग होता है। इन नहरों के निर्माण की लागत राशि कम होती है, परन्तु इनमें रिसाव, कटाव तथा जंगल–झाड़ उगने की समस्या ज्यादा होती है।

b) **लाईन्ड नहर** :– नहरों के जल वहन क्षमता को बढ़ाने, रिसाव क्षति (Percolation Loss) को कम करने, नहर के प्रवाह को दक्ष बनाने, मृदाक्षरण (Soil Erosion) को रोकने, जंगल झाड़ की वृद्धि को कम करने, नहरों के रख–रखाव की लागत राशि को कम करने तथा नहरों में बेहतर जल प्रबंधन हेतु लाईन्ड नहरों का निर्माण किया जाता है। ऐसे निर्माण में नहरों के अन्दरूनी भाग को ईंट, पत्थर, सीमेंट कंक्रीट या Bituminous Geo Membrane का प्रयोग कर लाईनिंग किया जाता है।

(ii) **जलवहन क्षमता** :– जलवहन क्षमता के अनुसार नहरों का वर्गीकरण निम्नवत है :–

(a)	मुख्य नहर	:-	सिंचाई योजना के शीर्ष से निकलने वाली प्रथम नहर
(b)	शाखा नहर	:-	> 1000 Cusec
(c)	उप शाखा नहर	:-	300-1000 Cusec
(d)	वितरणी	:-	150-300 Cusec
(e)	उप वितरणी	:-	25-150 Cusec
(f)	लघु नहर	:-	5-25 Cusec
(g)	जलवाहा (Water Course)	:-	2-5 Cusec
(h)	ग्राम जल शरणी (Field Channel/Village Channel)	:-	< 2 Cusec

मार्च 2025 तक मुख्य नहर से जलवाहा तक निर्मित नहरों की लंबाई 36133 कि0मी0 है।

7. अनुरक्षण कार्य के प्रकार :–

नहरों में होने वाले अनुरक्षण कार्य को निम्नांकित श्रेणियों में विभाजित किया गया है :–

(i) **नियमित/साधारण मरम्मति (Routine/General Maintenance)**:– सेवापथ को मोटरेबल रखना, नहर तटबंध पर रेनकट की मरम्मति करना, नहर तटबंध को जंगल–झाड़ से मुक्त रखना,

सभी प्रकार के गेटों की साधारण मरम्मति (ग्रिसिंग आदि), फ्री–बोर्ड को मेनटेन करना, मोटर/पम्प/ट्रांसफार्मर/स्वीच इत्यादि अवयवों की मरम्मति करना।

(ii) **नियतकालिक मरम्मति (Periodic Maintenance)** :– प्रत्येक वर्ष रबी सिंचाई अवधि के उपरांत (जिन सिंचाई योजनाओं से रबी की सिंचाई नहीं होती है, उनमें खरीफ सिंचाई के बाद) सभी नहरों को निर्मित सभी संरचनाओं के साथ रूपांकित (design/regime) आकार/डिजाईन के अनुरूप मरम्मत करना।

(iii) **आपात मरम्मति (Emergency Repair)**:– किसी प्राकृतिक आपदा (बाढ़, भूकंप इत्यादि) के कारण होने वाली क्षति की मरम्मति, नहर संचालन अवधि में हुये नहर टुटान की मरम्मति एवं किसी असामाजिक तत्व द्वारा नहर बाँध को क्षतिग्रस्त किये जाने की मरम्मति करना।

(iv) **विशेष मरम्मति/पुनर्स्थापन कार्य (Special Repair/ Restoration Work)** :– नहर के चलते रहने एवं समुचित वार्षिक संपोषण के अभाव में नहर की दक्षता में आयी कमी को फिर से प्राप्त करने के लिये कराया जाने वाला वृहद् मरम्मति कार्य पुनर्स्थापन कार्य कहलाता है। नहर तटबंध का सुदृढ़ीकरण, नहर संरचनाओं की मरम्मति, गेटों की विशेष मरम्मति आदि।

(v) **विस्तारीकरण–पुनर्स्थापन–आधुनिकीकरण (ई0आर0एम0)** :– नहरों एवं इनपर निर्मित संरचनाओं का पुनर्स्थापन, नहरों का Modernisation (Lining etc.), नहरों का विस्तारीकरण इत्यादि।

8. **नहर संचालन व्यवस्था** :–

कंडिका–2 में नहर संचालन अवधि निर्धारित की गयी है। सिंचाई अवधि यथा खरीफ, रबी एवं गरमा में नहर से सुचारू ढंग से पानी को खेतों तक पहुँचाने के लिये नहर की संचालन व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि नहरों में उपलब्ध जल को सभी खेतों में समानुपातिक ढंग से पहुँचाया जा सके। इसके लिये उक्त अवधि में मौसमी मजदूरों को लगाकर कैनाल की देख–रेख तथा गेट का संचालन किया जाता है।

9. **अनुरक्षण निधि का नमूना आकलन** :–

सृजित सिंचाई क्षमता का महत्तम उपयोग करने के लिये यह आवश्यक है कि ससमय एवं समुचित ढ़ंग से नहरों का अनुरक्षण किया जाय। इस पर व्यय होने वाली निधि का आकलन दो अलग–अलग विकल्पों के तहत किया गया है, जो परिशिष्ट–1 एवं 2 पर संलग्न है।

(i) वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभिन्न नहरों के चयनित खंडों पर जंगल एवं गाद सफाई का कराये गये कार्य के आधार पर कुल निर्मित नहरों के अनुरक्षण कार्य का गणना परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। इसके आधार पर प्रतिवर्ष रू0 2030.00 प्रति हे0 की दर से लागत अनुमानित है।

(ii) वर्ष 2004 में जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "Guiding Principles for Implementation of Restructured Command Area Development & Water Management Programme" के तहत नयी सिंचाई क्षमता सृजन कार्य पर रू0 100000.00/– (एक लाख) प्रति हे0 का आकलन किया गया था, उसके आधार पर नहर प्रणालियों के अनुरक्षण कार्य हेतु प्रतिवर्ष रू0 1800.00 प्रति हे0 की दर से लागत अनुमानित है (परिशिष्ट–2 संलग्न)।

उपरोक्त दोनों विकल्पों में से न्यूनतम लागत राशि के कारण विकल्प सं0–(ii) को उपयुक्त पाया गया है। आकलित राशि का वास्तविकता के आधार पर समय–समय पर पुनरीक्षण किया जा सकेगा। प्रत्येक वर्ष इस राशि में तत्समय लागू मूल्य सूचकांक के अनुसार वृद्धि की जायेगी।

(iii) स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष 49–2700041010001 के अन्तर्गत निरीक्षण भवनों, आवासीय परिसर एवं भवनों, कार्यालय परिसर एवं भवनों के अनुरक्षण हेतु रू0 77 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से लागत अनुमानित है (परिशिष्ट–3 संलग्न)। प्रत्येक वर्ष इस राशि में तत्समय लागू मूल्य सूचकांक के अनुसार वृद्धि की जायेगी। बजट प्रावधान हेतु यह राशि सृजित सिंचाई क्षमता के आधार पर रू0 200.00 की दर से अनुमानित है।

(iv) शीर्ष कार्य : भारत सरकार द्वारा लागू "बाँध सुरक्षा अधिनियम–2021" के अनुपालन में शीर्ष कार्य अनुरक्षण हेतु सृजित बजट स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष 49–2700041010004 के अंतर्गत प्राप्त निधि से शीर्ष कार्य का अनुरक्षण किया जायेगा। इस कार्य हेतु रू0 200.00 प्रति हे0 की दर से लागत अनुमानित है (परिशिष्ट–2 द्रष्टव्य)।

10. **अनुरक्षण कार्य की वर्तमान व्यवस्था :–**

वर्तमान में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष 49–2700041010001 (रख–रखाव और मरम्मत) के अन्तर्गत जो राशि उपलब्ध होती है, उसमें से नहर के रख–रखाव के लिये विभागीय आदेश संख्या–1/पी0एम0सी0/विविध/149/2002–253 दिनांक 15.03.2024 के द्वारा नहर संचालन तथा रख–रखाव हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू किया गया है। वर्तमान में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में किये गये प्रावधान के आलोक में नहरों का अनुरक्षण किया जाता है।

11. **शास्वत/टिकाउ अनुरक्षण हेतु नई व्यवस्था :–**

नहरों के व्यापक तथा दीर्घ–कालीन अनुरक्षण हेतु यह नई व्यवस्था लागू की जायेगी। इससे लम्बी अवधि तक नहरों का संरक्षण हो सकेगा। दीर्घकालीन अनुरक्षण की संविदा सामान्यतः 07 वर्षों की अवधि के लिए होगी। आवश्यकतानुसार संविदा की अवधि भिन्न भी हो सकती है। अनुरक्षण कार्य का निष्पादन संतोषजनक होने की स्थिति में, संविदा विस्तारित की जा सकेगी। इसी तरह निष्पादन संतोषजनक नहीं होने के स्थिति में संविदा विखंडित की जा सकेगी।

12. **बजट व्यवस्था :–**

सिंचाई योजनाओं में जो शीर्ष कार्य हैं, उनके अनुरक्षण के लिये भारत सरकार के द्वारा लागू बाँध सुरक्षा अधिनियम-2021 के प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष अंतर्गत एक अलग शीर्ष (49-2700041010004-बाँधों का रख–रखाव एवं मरम्मत) सृजित कर निधि की व्यवस्था की गयी है। इस शीर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध राशि (रू0 200.00 प्रति हे0 की दर से) से शीर्ष कार्य का अनुरक्षण किया जायेगा। नहर प्रणाली एवं उसपर जो अवस्थित संरचनाऐं है, उनके अनुरक्षण के लिये मुख्य शीर्ष 49–2700041010001 (रख–रखाव और मरम्मत) के अन्तर्गत बजट प्रावधान किया जायेगा। उसी बजट प्रावधान में इसका भी ध्यान रखा जायेगा की मुख्य शीर्ष 49–2700041010001 (रख–रखाव और मरम्मत) के अन्तर्गत, जो अन्य कार्य हैं, जैसे शिविर सम्पोषण, कार्यालय सम्पोषण, निरीक्षण भवन सम्पोषण इन सब का भी अनुरक्षण के लिये निधि उपलब्ध हो सकेगा। इस प्रकार नहर संपोषण के लिये रू0 1800.00 प्रति हे0 तथा संबंधित प्रक्षेत्रों के शिविर, कार्यालय, निरीक्षण भवन इत्यादि के संपोषण के लिये रू0 200.00 प्रति हे0 की दर से बजट प्रावधान किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष इस राशि में तत्समय लागू मूल्य सूचकांक के अनुसार वृद्धि की जायेगी।

13. **कार्यान्वयन का ढंग :–**

(i) क्रमिक ढंग से चयनित नहरों का "दीर्घकालीन परिणाम और निष्पादन आधारित नहर आस्तियाँ अनुरक्षण अनुबंध प्रणाली" (Long Term Output and Performance Based Canal Asset Maintenance Contract–OPCMC):–

प्रारंभ में निर्मित/निर्माणाधीन/भविष्य में निर्माण होने वाली नहर प्रणालियों जिसके शीर्ष पर 100 क्यूसेक अथवा इससे अधिक जलश्राव प्रवाहित होती हो, के अनुरक्षण हेतु चरणबद्ध ढंग से 07 वर्षों का अनुबंध किया जायेगा। यह चयन इस प्रकार की जायेगी कि अगामी 5 वर्षों में शीर्ष पर 100 क्यूसेक से अधिक जलश्राव वाली सभी नहरें ओ0पी0सी0एम0सी0 से आच्छादित हो जाय।

(ii) ऐसी नहर प्रणालियाँ जिनके शीर्ष पर 100 क्यूसेक से कम जलश्राव प्रवाहित होता है, का अनुरक्षण प्रारंभ में "मानक संचालन प्रक्रिया" के अनुसार :–

ऐसी नहर प्रणालियाँ जिनके शीर्ष पर 100 क्यूसेक से कम जलश्राव प्रवाहित होता है, का अनुरक्षण प्रारंभ में विभागीय आदेश संख्या–1/पी0एम0सी0/विविध/149/2002–253 दिनांक 15.03.2024 से लागू नहर

संचालन तथा रख–रखाव हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार किया जायेगा तथा चरणबद्ध ढंग से इसे ओ0पी0सी0एम0सी0 से आच्छादित किया जायेगा।

(iii) यथा उपयुक्त नहर प्रणालियों के अनुरक्षण में वी.बी.–जी. राम जी के साथ अभिसरण (कन्वर्जेंस) किया जायेगा।

14. **अनुरक्षण नीति के कार्यान्वयन हेतु विशेष दिशा–निर्देशों का गठन** :– इस नीति के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत का गठन तथा समय–समय पर यथा आवश्यक संशोधन जल संसाधन विभाग द्वारा किया जायेगा।

15. **विवादों का निपटारा** :– इस नीति के तहत उत्पन्न विवाद/विवादों का निपटारा Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008 के अधीन किया जायेगा।

16. **संशोधन का अधिकार** :– इस नीति में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिये राज्य सरकार सक्षम होगी।

17. **यह नीति पूर्व से लागू किसी अन्य नीति, विधेयक, अंतर्राज्यीय एवं अंतराष्ट्रीय समझौतों का अतिक्रमण नहीं करेगी।**

18. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक–10.11.2026 की बैठक में मद संख्या–29 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

राज्यपाल के आदेश से

12/XI/26

(चन्द्रशेखर सिंह)
सरकार के सचिव
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:–1/PMC/विविध/264/2026 952 पटना/दिनांक:– 13/11/26

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:–1/PMC/विविध/264/2026 952 पटना/दिनांक:– 13/11/26

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (ई–गजट प्रशाखा), पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना को बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा–आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग)। अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 प्रतियाँ जल संसाधन विभाग, पटना, बिहार को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

12/XI/26

सरकार के सचिव
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः–1/PMC/विविध/264/2026 952 पटना/दिनांकः– 13/11/26

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव/विभागाध्यक्ष, बिहार, अभिलेखागार, बेली रोड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/11/26
सरकार के सचिव
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः–1/PMC/विविध/264/2026 952 पटना/दिनांकः– 13/11/26

प्रतिलिपि– अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)/अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण/अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, बिहार/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग तथा मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः–1/PMC/विविध/264/2026 952 पटना/दिनांकः– 13/11/26

प्रतिलिपि– माननीय उप मुख्यमंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को माननीय उप मुख्यमंत्री के अवलोकनार्थ उपस्थापित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः–1/PMC/विविध/264/2026 952 पटना/दिनांकः– 13/11/26

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना एवं प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः–1/PMC/विविध/264/2026 952 पटना/दिनांकः– 13/11/26

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग को Common Integrated Website पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

12/11/26
सरकार के सचिव
जल संसाधन विभाग